न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :— 62/2015 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2015/99932)

हरीसिंह पुत्र श्री भगवत जाति जाट निवासी चक पपरेरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमप्रताप सिंह } पिसा० पीताम्बर सिंह
2. करतार सिंह
3. रतन सिंह
4. मान सिंह
5. कृष्णा } पुत्रीयां नेपाल सिंह
6. अनीता
7. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी कुम्हेर दिनांक 15.4.20013

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश कुमार वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री महाराज सिंह वकील रैस्पोडेन्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः— 25.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 15.4.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 1 लगायत 6 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 125 रकबा

25.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बीघा 5 विस्वा स्थित चक पपरेरा तहसील कुम्हेर के रैस्पो0 1 लगायत 4 के पिता व रैस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 के बाबा स्व0 पीताम्बर सिंह खातेदार काश्तकार रहे है। इस रैस्पो0 उनके वारिसान है। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त साविक नम्बर 126 के साथ अन्य खसरा नम्बर 126 को मिलाकर नया नम्बर 104/1.32 गठित किया है जो इस प्रकार है।

वर्तमान खसरा नम्बर– 104/1.32

गत खसरा नम्बर – 126/1.12, 125 मिन, 126/4.0

उपरोक्त नये खसरा नम्बर 104/1.32 पर वर्तमान अभिलेख में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा निम्न प्रकार इन्द्राज किये है। मेवा पुत्र रामलाल कौम जाट 21/132 भाग, पीताम्बर पुत्र मटोली कौम जाट 47/132 भाग, साकिन देह, भगवत पुत्र रामहेत नाई 64/132 भाग साकिन सीही भूदान होल्डर।

जमाबन्दी सम्वत 2066–71 में निम्न प्रकार इन्द्राज किये जा रहे है। मेवा पुत्र रामलाल जाट 21/132 भाग, पीताम्बर पुत्र मटोली कौम जाट 47/132 भाग, साकिन देह भूदान होल्डर वीरीसिंह, जगपालसिंह, प्रेमदयालसिंह, पिसरान टीकमसिंह हि0 64/132 कौम जाट साकिन सीही खातेदार इं0नं0 124, 172, 173 भू प्रबन्ध विभाग ने गत के विपरीत रेस्पो0/प्रार्थीयान के पिता को आराजी संबधित पर एक तो खातेदार के स्थान पर गलती से भूदान होल्डर अंकित कर दिया है जबकि साविक जमाबन्दी में गत खसरा नम्बर 125/5.5 पर वह खातेदार काश्तकार दर्ज रहे है। दूसरे साविक के विपरीत 84 ऐयर रकबे के स्थान पर 47 ऐयर ही अंकित किया है ये दोनों गलतियां अभिलेखीय त्रुटी है । साविक स्थिति के अनुरूप रैस्पो0/प्रार्थीयान के रकबे की पूर्ति अलग नम्बर बना कर की जा सकती है । मौके पर रैस्पो0/प्रार्थीयान का कब्जा पूरा रकबा 84 ऐयर पर मौजूद है। इसलिऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रैस्पो0/प्रार्थीयान को मृतक पीताम्बर के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे व साविक के अनुरूप रकबा 84 ऐयर दर्ज किया जाकर संशोधन किया जावे। वर्तमान में कम हुये रकबे का पृथक से नया नम्बर बनाया जाकर उस पर इन्द्राज किये जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही रैस्पो0/प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया गया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी के खाते में 0.44 है0 रकबा वेशी है जिसमें से 0.22 रकबा कम किया जाकर अपीलान्ट/अप्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 1.78 है0 दुरूस्त करते हुये रैस्पो0/प्रार्थीयान के हाल रकबा 0.47 के स्थान पर 0.69 रकबा अलग से खसरा नम्बर बनाते हुये राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वि। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद गिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आलौच्य आदेश जेर अपील न्यायालय तहत खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है जो कि काबिल निरस्तनीय है। नकल आदेश जेर अपील के साथ संलग्न है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की उपस्थिति में ही परित किया गया। वरन् एकपक्षीय बहस सुनते हुए आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.06.2015 को विवादित भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर होने के बाद दिनांक 18.06.2015 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद दिनांक 19.06.2015 को अपील पेश की गई है। अपील पेश करने हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका रैस्पों0 द्वारा न तो कोई जबाब ही दिया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र पर कतई गौर नहीं किया कि उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में साविक खसरा नम्बर 125 व 126 से निर्मित किया गया हाल नम्बर 104 रकबा 1.32 है0 की बाबत अभिकथित किया है। मगर अदालत तहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और रैस्पो0 के अभिकथनों पर गौर न करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 2.00 है0 से 0.22 है0 रकबा कम करने का आदेश दिया है जो रिकार्ड एवं विधि विरूद्ध है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 द्वारा अपना खसरा नम्बर 125 के बरावर हाल रकबा हाल ख0नं0 125 व 126 से निर्मित हुआ है। साविक खसरा नम्बर 126 अपीलार्थी का नहीं है बल्कि मेवा पुत्र रामलाल कौम जाट व भगवत पुत्र रामहेत नाई का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अदालत तहत ने इन संबंधित व्यक्तियों मेवाराम व भगवत नाई को पक्षकार मुकदमा न बनाते हुये अपीलार्थी को पक्षकार बनाकर आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो कतई गलत है। रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में यह अंकित किया है कि भगवत पुत्र रामहेत नाई ने वीरीसिंह, जगपालसिंह, प्रेमदयालसिंह पुत्र श्री टीकमसिंह जाति जाट नि0 ग्राम सीही को विक्रय कर दिया है फिर भी न्यायालय तहत ने भगवत नाई के स्थान पर इन केताओं को पक्षकार नहीं बनाया जिनके खिलाफ रैस्पो0 ने रिलीफ चाही है। इस प्रकार तहत अदालत ने पत्रावली पर गौर न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह कि अपीलधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रैस्पो0 का सविक ख0नं0 125 अपीलार्थी के साविक खसरा नम्बर 133, 134, 166 के चिपटेमा नहीं है बल्कि काफी दूरी पर स्थित है इसलिऐ रैस्पो0 का कोई रकबा अपीलार्थी के कोई रकबे में सम्मलित होना कतई संभव नहीं है। रैस्पो0 स्वयं ने यह अभिकथन किया है कि उनकी साविक आ0ख0नं0 125 साविक ख0नं0 126 के चिपटेमा है, तथा 126 ख0नं0 के खातेदार मेवापुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चक पपरेरा व भगवत पुत्र रामहेत नाई निवासी सीही की खातेदारी का है। भगवत पुत्र रामहेत नाई ने अपने इस रकबा को वीरीसिंह, जगपाल, प्रेमपाल पि0 टीकम जाति जाट निवासी सीही को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार जब स्वय रैस्पो0 अपनी उक्त आराजी के रकबा को साविक रकबा खसरा नम्बर 126 में दर्शाना बताते व स्वीकृत करते है तो ऐसी सूरत में अपीलार्थी की उक्त आराजी से काई रकबा कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। न्यायालय तहत ने इन समस्त तथ्यों पर गौर न करते हुये आलौच्य आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो नियमों के विपरीत होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले मंसूखी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.4.2013 निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पों0 ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिए क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सम्मन नोटिस विधिवत जारी किए गए परन्तु अपीलान्ट के उपस्थित नहीं

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग

मे पर रजिस्टर्ड ए.डी. से भी नोटिस भेजे गए इसके बावजूद अपीलान्ट अदालत मातहत उपस्थित नही हुए। इसलिए अदालत मातहत द्वारा रैस्पों0 के अभिभाषक की बहस सुनने के बाद पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेज का पूर्ण परिक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का न तो कोई जबाब देने की आवश्यकता है व न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश करने की आवश्यकता है क्योंकि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से ही जानकारी थी परन्तु अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उक्त अपील विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज की जावे। वकील रैस्पों0 ने प्रकरण क गुणावगुण पर भी बहस करते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत ने उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात व पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की खातेदारी में जो बढा हुआ रकवा आया है उसका कोई औचित्य अपीलान्ट स्पष्ट नहीं कर पाए। रैस्पों0 का बढा हुआ रकवा अपीलान्ट की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा रिकार्ड में दुरूस्ती की गई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया है कि अपीलान्ट को न तो अदालत मातहत द्वारा भिजवाई गई नोटिस व रजिस्टर्ड एडी की विधिवत तामील हुई है और न ही ऐसा कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा भिजवाए गए सम्मन व रजिस्टर्ड पत्र की विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र रजिस्टर्ड ए.डी. या सम्मन भिजवाने को ही विधिवत तामील नहीं मानी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2013 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने व अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2013 के विरूद्ध लगभग 2 वर्ष 2 माह के विलम्ब से अपील पेश की गई है। उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर कर उक्त अपील को अदालत हाजा द्वारा दिनांक 26.06.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आदेश

गीय आयुक्त
र संभाग, भरतपुर

कि 26.08.2018 के द्वारा आराजी खसरा नं0 91 रकबा 0.22 एयर बाके ग्राम चक पीरा में वर्तमान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने तथा गैर जगह रहन बय मुन्तकिल नहीं करने हेतु रैस्पो0 को पाबन्द किया गया। अर्थात अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास कर अपील दर्ज रजिस्टर करते हुए स्थगन आदेश पारित किया है। इसलिए इस स्तर पर मियार संबंधी बिन्दु पर अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रैस्पो0 की ओर से अपील पेश होने के बाद अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का न तो कोई जबाब प्रस्तुत किया और न ही काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से थी। वैसे भी मियाद संबंधी बिन्दु पर आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5& While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियार शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पों0 की ओर से अदालत मातहत में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.06.2012 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 125 के साथ 126 रकबा 4 बीघा व 126 ा 1 बीघा 2 बिस्वा को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 1.32 हैक्टे. बनाया

य आयुक्त
भाग, भरतपुर

कर शामिल खातेदारी कर प्रार्थीयान को हिस्सा 1/32 पर दर्ज भूदान होल्डर दर्ज कर या गया है जो साबिक के अनुसार गलत दर्ज किया गया है। तथा साबिक खसरा नं0 125 में से होकर नीचे पर बांध मड़कया सिंचाई विभाग बन गया है जिसमें इस खसरा नं0 लगभग 0.15 एयर रकबा चला गया है। प्रार्थीयान को साबिक रकबा के 0.47 जमा 0.15 कुल 0.62 रकबा इस नम्बर से दिया गया है जो कि प्रार्थी के 0.84 एयर के मुकाबले 0.22 एयर कम कर दिया गया है जो प्रार्थी को दिया जाना उचित है व भूदान होल्डर के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना साबिक के अनुसार उचित है। इसी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 2 हैक्टे साबिक खसरा नम्बर 166 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा खसरा नं0 133 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा 134 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा से बनाया गया है जो 1.66 हैक्टे0 होना चाहिए था जो हरि सिंह पुत्र भगवत सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस नंबर में 0.44 एयर रकबा बेशी है। इसमें से 0.22 कम करके प्रार्थी के हाल रकबा 0.47 के स्थान पर 0.69 करते हुए प्रथक नंबर बनाते हुए भूदान होल्डर के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। इस रिपोर्ट को तहसीलदार कुम्हेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को भिजवाया गया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने इस रिपोर्ट के आधार पर रैस्पों0 से तरमीम शीर्षक प्राप्त किया गया तथा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रथम तामील अपीलान्ट के ताऊ को हुई तथा पुनः तामील हेतु रजिस्टर्ड एडी. से सम्मन भिजवाए गए। इस नोटिस की तामील होकर प्राप्त होने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यही अवधारणा ली जावेगी कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि विवादित भूमि जिसमें से रैस्पों0 के रकवे की पूर्ति की गई है। यह भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2013 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारन को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर